**UPME180028312017**

**न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना, मेरठ।**

**पीठासीन अधिकारी– (रजत शुक्ला) (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) UP3272**

**परिवाद संख्या–1900/2017**

जयपाल पुत्र मंगत सिंह उम्र .... निवासी ग्राम खेड़ा थाना सरधना , जिला मेरठ।

**.....परिवादी।**

**बनाम**

1. शेर सिंह पुत्र इशम सिंह
2. सोनू पुत्र शेर सिंह
3. भीम पुत्र शेर सिंह
4. अमन पुत्र शेर सिंह

समस्त निवासीगणग्राम खेड़ा थाना सरधना, जिला मेरठ।

**.....विपक्षीगण**

**धारा–343 भारतीय दंड संहिता**

**थाना–सरधना जिला–मेरठ।**

**दिनांकः–20.08.2025**

वाद पुकारा गया। कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2017 को अभियुक्त के विरूद्ध तलबी आदेश जारी किया गया था। परिवादिनी दिनांक 20.08.2022 से लगातार अनुपस्थित है। कोई पैरवी करने हेतु उपस्थित नहीं। पत्रावली अभियुक्त के विरूद्ध एन.बी.डबल्यू. हेतु जारी है। परिवादी विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आया है। पूर्व दिनांक पर न्यायालय द्वारा परिवादी को अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। जिसके उपरांत परिवादी द्वारा पैरवी नहीं की गयी है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद धारा 204(4) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

परिवाद धारा 204(4) दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

**दिनांकः–20.08.2025**

**(रजत शुक्ला)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना, मेरठ।**
**जे0ओ0 कोड यू0पी0 03272**